**संख्या-29/2026/1060/58-2026-118/2016-2047486**

प्रेषक,

**रजनी कान्त पाण्डेय,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
उद्यान विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**उद्यान अनुभाग** **लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2026**

**विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग में संचालित विभिन्नि योजनाओं का क्रियान्वयन डी0बी0टी0 के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-09/आई0टी0सेल/2026-27/150सी/ लखनऊ दिनांक 04-05-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन डी0बी0टी0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निवेश नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

**1. <u>रोपण सामग्री एवं औद्यानिक निवेश की व्यवस्थाः-</u>**

रोपण सामग्री (पौध बल्व) कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्र, आई.सी.ए.आर. राजकीय पौधशालाओं, सेन्टर आफ एक्सीलेंस, मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेंस द्वारा पर्याप्त मात्रा में रोपण सामग्री उपलब्ध होने के कारण किसी भी दशा में प्राइवेट पौधशालाओं से क्रय न किया जाये।

**2. <u>संकर शाकभाजी, मसाला, पुष्प, मखाना तथा औषधीय एवं सगंध फसलों के बीज/ बल्ब/पौध की व्यवस्थाः-</u>**

**(क)** एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की संस्था एनएचआरडीएफ को प्याज और लहसुन के लिये नामित किया जाता है, अनुपलब्धता की दशा में एचआईएल द्वारा मूल उत्पादक संस्थाओं से निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जाये।

(1) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एमआईडीएच, मखाना विकास योजना, एससीपी, मुख्य मन्त्री राज्य

https://shasanadesh.up

औद्यानिक विकास योजना के माध्यम से किसानो को दिये जाने वाले उच्च गुणवत्तायुक्त बीज, रोपण सामग्री आईसीएआर-आईआईबीआर द्वारा अधिसूचित रिसर्च/टीएल किश्मों एवं शंकर प्रजातियों को सरकारी बीज क्रय एवं वितरण हेतु अनुमोदित सूची में शामिल किया जाये, जिसके लिये एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की संस्था एचआईएल से नियमानुसार पारदर्शी निविदा कर आपूर्ति की जाये।

(2) बीज क्रय प्रकिया में केवल उन्हीं बीज फर्मों को प्रतिभाग करने की अनुमति दी जायेगी, जिसके पास सम्बन्धित आईसीआर संस्था के वैध लाईसेंस, एमओयू का प्राधिकार उपलब्ध होगा तथा जिन्हें ब्रीडर बीज प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी हो। बीज क्रय के समय सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी लाईसेंस, ब्रीडर बीज आवंटन पत्र एवं प्रमाणित प्रमाण पत्र को अनिवार्यता के रूप में शामिल किया जाये। प्रदेश में सब्जी उत्पादन पोषण सुरक्षा एवं किसान की आय वृद्धि को ध्यान में रखते हुये सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित रिसर्च/टीएल शंकर बीज को प्राथमिकता प्रदान की जाये, जिससे सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिले और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके।

**(ख)** उपरोक्त 2 (क) यदि कोई बीज आईसीएआर-आईआईवीआर के पास उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में एचआईएल द्वारा निविदा कर शंकर बीज की आपूर्ति किसानों को करायी जाये।

**(ग)** ऐसी रोपण सामग्री जैसे-ग्लैडियोलस, रजनीगंधा, ड्रैगन फ्रूट्स, खजूर पौध, सिंघाड़ा एवं मसाला बीज आदि बीज/रोपण सामग्री जिसका उत्पादन मूल उत्पादक कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता है, उसके क्रय हेतु मूल उत्पादक कम्पनी की शर्त की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

**3. <u>टिशूकल्चर केला, स्ट्राबेरी की व्यवस्थाः-</u>**

टिशूकल्चर केला, स्ट्राबेरी की व्यवस्था सर्वप्रथम विभागीय टिशूकल्चर लैब से की जायेगी। तदोपरान्त अनुपलब्धता की दशा में विभागीय टिशूकल्चर लैब से टिशूकल्चर पौध अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निदेशालय स्तर से ई.ओ.आई. के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दरें प्राप्त कर इम्पैनल्ड मूल उत्पादक कम्पनियों से क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। लाभार्थी कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार इम्पैनल्ड संस्थाओं से सामग्री का क्रय किया जायेगा।

https://shasandesh.up.gov.in

लाभार्थी कृषकों द्वारा विभागीय टिशूकल्चर लैब से क्रय किये जाने की दशा में धनराशि का भुगतान सम्बन्धित टिशूकल्चर लैब/राजस्व प्राप्ति के लेखाशीर्ष में तथा इम्पैनल्ड कम्पनियों से क्रय किये जाने की दशा में अनुमन्य अनुदान की सीमा तक धनराशि का भुगतान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

4. **<u>बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टीसाइड/बायोएजेन्ट्स, वर्मीकम्पोस्ट/नीमकेक, प्लास्टिक क्रेट्स, पालीथीन बैग, मल्चिंग शीट, फ्रुट पेपर बैग, वर्मीबेड की व्यवस्थाः-</u>**

**(क)** बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टीसाइड किसानों के खेत में आर्गनिक कार्बन की मात्रा को बढाने और मा० प्रधानमन्त्री जी एवं मा० मुख्य मन्त्री जी के नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और खेत में जैव उर्वरक की मात्रा को बढ़ाने के लिये फर्मेटेड आर्गनिक मनौर (एफओएम) पीआरओएम और लिक्विड फर्मेटेड आर्गनिक मनौर (एलएफओएम) को प्रतिस्पर्धात्मक एवं न्यूनतम दरों पर प्राथमिकता पर किसानों को उपलब्ध करायी जाये, साथ ही ऐसे बायोफर्टिलाइजर्स का चयन सुनिश्चित किया जाये, जिनकी शेल्फ आयु कम से कम एक वर्ष हो और आईसीएआर द्वारा प्रमाणित हो। पालीथीन बैग, मल्चिंग शीट-भारत सरकार की सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने के उद्देश्य से कम्पोस्टेबल का क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया जाये, जिसके लिये एचआईएल संस्था नामित की जाती है।

**(ख)** लघु एवं स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्मीकम्पोस्ट/ नीमकेक हेतु पृथक से शिथिल शर्तों के अनुसार इम्पैनल करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. **<u>घेरवाड़, मौनपालन कार्यक्रम</u>** के अन्तर्गत सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु ई.ओ.आई. के माध्यम से इम्पैनल्ड संस्थाओं से क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। लाभार्थी कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार इम्पैनल्ड संस्थाओं से सामग्री का क्रय किया जायेगा। किसान अंश का भुगतान अनिवार्य रूप से जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. **<u>प्रोजेक्ट आधारित कार्यों की व्यवस्थाः-</u>**

**(i)** शेडनेट हाउस/पालीहाउस हेतु निदेशालय स्तर से ई.ओ.आई. के माध्यम से इम्पैनल्ड संस्थाओं से शेडनेट हाउस/पालीहाउस की स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। लाभार्थी कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार इम्पैनल्ड संस्थाओं से शेडनेट हाउस/पालीहाउस की स्थापना का कार्य कराया जायेगा।

https://shaadesh.up.gov.in

**(ii)** वर्तमान परिदृश्य में ईरान के युद्ध को देखते हुये डीजल/पेट्रोल से चलने वाले मशीनीकरण पर सब्सिडी देने की जगह किसान हित में जो भी मशीनरी क्रय की जाये उसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षमता इलेक्ट्रिक/सीएनजी/सीबीजी से चलने वाले ही क्रय किया जाये, जिससे किसानों को असुविधा न हो।

**7.** रूफ टाफ गार्डिनिंग में आईसीआर- आईआईवीआर की वरायटी को प्राथमिकता दी जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी कम्पोनेन्ट मुख्यालय हाफेड द्वारा मूल उत्पादक संस्थाओं से नियमानुसार निविदा के माध्यम से जिलों को भेजा जाये, जिससे सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को ससमय उच्च गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा में बीज प्राप्त हो सके।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी जनपदों द्वारा मेले का आयोजन किया जाये, जिससे किसानों को उनकी इच्छा/उपयोग के अनुसार किस वरायटी का बीज चाहिये, उसकी जनपदवार सूचना https://dbt.uphorticulture.in के माध्यम से मुख्यालय को समयबद्ध तरीके से भेजी जायेगी, जिससे कि किसानों को खरीफ/रवी/जैद की सीजन का लाभ समय से और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से सुनिश्चित करायी जा सकेगी।

भवदीय,

**(रजनी कान्त पाण्डेय)**
संयुक्त सचिव।

**संख्या-1060(1)/58-2026, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, हॉफेड, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।

https://shasanadesh.up.gov.in

9. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।

10. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी/उद्यान अधीक्षक, उ0प्र0। द्वारा-निदेशक।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(संजीव कुमार त्रिपाठी)**
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in